

प्रति,

समस्त कंप्यूटर ऑपरेटर/ डाटा एंट्री ऑपरेटर /आई टी कर्मी

विषय: आउटसोर्स कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं अन्य आई टी कर्मियों को "साइबर सुरक्षा अनुपालन और शिष्टाचार" पर ई-लर्निंग प्रशिक्षण कोर्स आयोजन करने विषयक।

संदर्भ:

1. लोकशिक्षण संचालनालय द्वारा जारी आदेश क्रं. MIS-53/Cyber Security/2022-23/37 dated 14/02/2025

2. पत्र क्रमांक MPCON/BPL/IT/23-24/004 दिनांक 04.04.2023

3. पत्र क्रमांक MPCON/BPL/TRG/795 दिनांक 28/01/2025

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि भारत सरकार-गृह मंत्रालय का आदेश क्रमांक D.O.No./22003/15/2019-I4C दिनांक 30/03/2023, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग- भारत सरकार (क्रमांक/पी ए/पू स/स्कूल शिक्षा/44/24 दिनांक 16/09/2022) व राज्य सरकार के निर्देश पत्रों अनुपालन में लोक शिक्षण संचालनालय अंतर्गत विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों के संदर्भ में साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यालय में साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क स्थापित करने एवं बनाये रखने, आईटी संसाधनों के सुरक्षित उपयोग, सूचना की सुरक्षा तथा कार्यस्थल पर साइबर क्राइम ऑनलाइन फ्रॉड की रोकथाम के लिए आउटसोर्स कर्मचारियों का प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है।

प्रशिक्षण प्रोग्राम का पहला चरण 17.03.2025 से 25.03.2025 तक सफलतापूर्वक आयोजित किया जा चुका है एवं द्वितीय चरण के प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए 05.04.2025 तक ऑनलाइन पंजीयन कर सकते हैं तथा द्वितीय चरण का प्रशिक्षण दिनांक 07.04.2025 से प्रारंभ किया जाएगा। समस्त कंप्यूटर ऑपरेटर/ डाटा एंट्री ऑपरेटर / आई टी कर्मियों को आवश्यक "साइबर सुरक्षा अनुपालन और शिष्टाचार" पर ई-लर्निंग प्रशिक्षण निर्देशानुसार 03 माह की अवधि में दिया जाना है। प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए कर्मचारीको एमपी कॉन (MPCON) की वेबसाइट www.mpconsultancy.org पर जाकर ऑनलाइन पंजीयन करना अनिवार्य है।

प्रशिक्षण आयोजन संबंधित बैच, समय सारणी एवं अन्य संबंधित जानकारी मैसेज फोन एवं ऑनलाइन अकाउंट पर दी जाएगी। समस्त प्राचार्यों से अनुरोध है कि प्रशिक्षण के भाग लेने के लिए कर्मचारी को बैच के अनुसार निर्धारित दिन व समय पर कार्यमुक्त करें। प्रशिक्षण से संबंधित जानकारी या सहायता के लिए यशदीप चतुर्वेदी मोब: न. 9343649168, 9343649161, 8770303862, 7354133333 पर संपर्क किया जा सकता है।


मनोज मिश्रा

(Chief Operating Officer)

प्रतिलिपि:

1. आयुक्त लोक शिक्षण, संचालनालय
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी म. प्र.
3. समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी म. प्र.
4. समस्त प्राचार्य / प्रभारी प्राचार्य, शासकीय हाईस्कूल / हायर सेकेंडरी विद्यालय, म. प्र. से अनुरोध है कि लोकशिक्षण

संचालनालय द्वारा जारी आदेश क्रं. / आई टी /साइबर सुरक्षा/2023/197 दिनांक 31/03/2023 के संदर्भ में विध्यालय में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं अन्य आई टी कर्मियों को उक्त प्रशिक्षण के आयोजन के संबंध में अवगत करायेगे एवं संचालनालय / जिला / विद्यालय स्तर से आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे। इस प्रशिक्षण के पूर्ण होने पर आउटसोर्स कर्मचारी जिला शिक्षा अधिकारी को तत्संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी सम्पूर्ण रिपोर्ट लोक शिक्षण संचालनालय को प्रस्तुत करेंगे।

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश

गौतम नगर, भोपाल-462023

दूरभाष 0755-2581067

www.educationportal.mp.gov.in/ www.shikshaportal.mp.gov.in

क्र./MIS-53/Cyber Security/2022-23/ 37
प्रति,

भोपाल दिनांक : 14/02/2025

जिला शिक्षा अधिकारी,
समस्त जिलें म.प्र.

विषय : "साइबर सुरक्षा अनुपालन और शिष्टाचार" पर ई-लर्निंग प्रशिक्षण के संबंध में।


- संदर्भ : 1. लोक शिक्षण संचालनालय के पत्र क्र/आई टी / साइबर सुरक्षा/2023/197 दिनांक 31/03/2023
2. लोक शिक्षण संचालनालय के पत्र क्र./MIS-53/2022-23/14 दिनांक 02.05.2023
3. MPCON का पत्र क्र MPCON/BPL/IT/23-24/160 दिनांक 25/04/2023

विषयांकित प्रकरण में लेख है कि संदर्भित पत्रों के अनुसार एम.पी. कॉन द्वारा साइबर, सूचना एवं बाल सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तथा भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में विभाग में आउटसोर्स आधार पर कार्यरत कम्प्यूटर्स एवं डाटा एन्ट्री ऑपरेटर्स को प्रशिक्षित किये जाने के निर्देश है, जिसके अनुक्रम में उक्त अनुबंधित ऑपरेटर्स को एम.पी. कॉन के "साइबर सुरक्षा अनुपालन एवं शिष्टाचार" संबंधी प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है।

उपयुक्त क्रम में उक्त 8 दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण दिनांक 11.05.2023 से 10.01.2024 तक आयोजित किया गया जिसमें विभिन्न जिलों में कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटर्स एण्ड डाटा एन्ट्री ऑपरेटर्स को प्रशिक्षित किया गया। किन्तु बड़ी संख्या में ऑपरेटर्स का प्रशिक्षण अभी शेष है।

एम.पी. कॉन के पत्र दिनांक 28.01.2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त प्रशिक्षण का आयोजन पुनः प्रारंभ किया जा रहा है जिसमें जो ऑपरेटर्स प्रशिक्षण में भाग नहीं ले सके उनका प्रशिक्षण किया जाएगा, जिन लोगों का प्रशिक्षण हो चुका है उन्हें पुनः प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता नहीं है। आपके जिला अंतर्गत शालाओं में कार्यरत आउटसोर्स कम्प्यूटर ऑपरेटर्स को उक्त प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु निर्देशित करें। उक्त प्रशिक्षण 8 दिवसीय है जो प्रत्येक दिवस 2 घंटे की अवधि का होगा। प्रशिक्षण के दिवसों में दो घंटे की अवधि को इनकी कर्तव्य अवधि मान्य किया जाए एवं इस हेतु इनके मानदेय से कोई कटौती नहीं किया जाए।

क्रियात्मक 28.01.25



(के.के.द्विवेदी)
संचालक

लोक शिक्षण, म.प्र.

पृ.क्र./MIS-53/Cyber Security/2022-23/ 38
प्रतिलिपि :-

भोपाल दिनांक :

1. निज सहायक, सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, भोपाल।
2. निज सहायक, आयुक्त लोक शिक्षण, भोपाल।
3. संभागीय, संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, समस्त संभाग की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. संबंधित संकुल प्राचार्य, समस्त जिलें की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।


संचालक
लोक शिक्षण, म.प्र.

प्रशिक्षण आयोजन संबंधित दिशा निर्देश:-

1. "MPCEDE401S: CYBER SECURITY COMPLIANCE & ETIQUETTE" एक ई-लर्निंग प्रशिक्षण-परीक्षा प्रोग्राम है।
2. प्रशिक्षण में आउटसोर्स या अनुबंध आधार पर कार्य करने वाले कम्प्युटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर या अन्य अन्य आई टी कर्मचारियों कर्मचारी भाग ले सकेंगे।
3. कोर्स की समयावधि 16 घंटे की होगी।
4. कोर्स में कुल 16 लेक्चर का आयोजन किया जाएगा।
5. प्रशिक्षण में 01:00 घंटा क्लास तथा 30 मिनट प्रश्न-उत्तर सत्र रहेगा।
6. पंजीयन के पश्चात प्रशिक्षण की समय सारणी तैयार कर भाग लेने वाले कर्मचारियों को दी जायेगी।
7. प्रशिक्षण में भाग लेने वाले कर्मचारी/ सदस्य <https://mpced-mpconsultancy-org/SpacialProgramRegistration.aspx> वेबसाइट के माध्यम से कर्मचारी द्वारा स्वतः रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
8. पंजीयन फॉर्म वेबसाइट पर उपलब्ध है, अतः आवेदक फॉर्म डाउनलोड कर सकता है। फॉर्म में आवश्यक जानकारी भरकर भुगतान रशीद के MPCON की आधिकारिक ई-मेल आई डी mpced@mpconsultancy-org पर मेल कर सकता है। भुगतान सत्यापन के पश्चात फॉर्म की ऑनलाइन डाटा एंट्री कार्यालय द्वारा की जायेगी तथा पंजीकरण का सन्देश आवेदक को पहुँच जाएगा।
9. प्रशिक्षण MPCON के प्रशिक्षण केंद्र से ऑनलाइन लर्निंग प्लैटफॉर्म के माध्यम से दिया जायेगा। जिसमें प्रतिभागी LIVE प्रश्न पूछ सकते हैं या प्रशिक्षक से वार्तालाप कर सकते हैं। जिसके उत्तर प्रशिक्षक द्वारा क्लास के अंत में दिये जायेंगे।
10. प्रशिक्षण पूर्ण होने पर www.mpconsultancy.org पोर्टल पर ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।
11. परीक्षा एवं मूल्यांकन: प्रशिक्षण उपरांत एक ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी। जिसके लिए एक अभ्यास पुस्तिका हिंदी में तैयार की गयी है। परीक्षा अभ्यास पुस्तिका पर आधारित रहेगी। इस

परीक्षा का मुख्य उद्देश्य प्रशिक्षण का पुनः अध्ययन/ अभ्यास व विभाग के लिए मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करना होगी।

परीक्षा से संबंधित नियम और निर्देश इस प्रकार हैं:-

I - परीक्षा विवरण .

- परीक्षा का प्रकार : बहुविकल्पीय प्रश्न
- अवधि : 90 मिनट
- प्रश्न : 100
- उत्तीर्ण अंक : 40%
- मोड : ऑनलाइन

II- अन्य मानदंड

- परीक्षा एमपीकॉन लिमिटेड द्वारा आयोजित की जायेगी ।
- कोई नकारात्मक अंकन नहीं ।
- उम्मीदवारों को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए केवल तीन प्रयास मिलेंगे ।
- एमपीकॉन लिमिटेड द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाएगा ।
- उम्मीदवारों को हिंदी में अभ्यास पुस्तिका भी उपलब्ध कराई जायेगी ।
- अंतिम परीक्षा प्रश्न अभ्यास पुस्तक पर आधारित हैं ।
- परीक्षा का मुख्य उद्देश्य साइबर सुरक्षा पर जागरूक करना और पाठ्यक्रम सामग्री का पुनरीक्षण और कार्यक्रम का मूल्यांकन करना हैं ।
- परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले सदस्यों को 'पूर्णता का प्रमाण पत्र' और अन्य को 'भागीदारी का प्रमाण पत्र' दिया जाएगा ।

12. कोर्स की विषय वस्तु पर आधारित अध्ययन सामग्री एमपीकॉन द्वारा हिंदी उपलब्ध कराई जायेगी ।

13. वित्तीय निहितार्थ: प्रशिक्षण शुल्क कुल रु. 3,200/- (समस्त कर सहित) प्रति सदस्य होगी। पंजीयन शुल्क अप्रतिदेय होगी। MPCON के खाते में भुगतान प्राप्त होने पर ही पंजीकरण सफल माना जाएगा।

बैंक खाता जानकारी :-



Account Name	MPCON Limited
Bank	State Bank Of India
Account number	33424133989
Branch	(30461)- Arera Hills Bhopal
IFSC Code	SBIN0030461

